International Indexed & Referred Research Journal, ISSN- 2250-2556; VoL. I *ISSUE-1, April, 2012.

शोध पत्र- राजनीति विज्ञान

आदिवासियों में राजनैतिक चेतना एवं विकास राज्य सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन (बस्तर जिले के विशेष संदर्भ में)

* डॉ. विनोद गजभिये

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जब समग्र विकास के लिये केन्द्रीय स्तर से प्रयास प्रारंभ किये गये। उस समय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि "मुझे डॉक्टर, इंजिनियर चाहिये"। गांधी जी ने कहा था कि "भारत गांवो का देश है इसलिए जब भी हम विकास की बात करते है तो गांव से प्रारंभ होना चाहिए। वहां भी सबसे अंतिम छोर से खड़े व्यक्ति से प्रारंभ होना चाहिए। तभी भारत के विकास के बारे में सोचा जा सकता है।"

इन भावनाओं को महत्व देते हुये संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के विकास के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की है। जिसमें वनो में निवास करने वाले असंख्य वनवासी, आदिवासी जनसमुदाय भी सम्मिलित है। भारत में छ.ग. का बस्तर जिला अनेक मामलो में प्रसिद्ध है। जहां अनुसूचित जनजाति की विभिन्न श्रेणीयो के नागरिको का निवास हैं।

जहां सभी की संस्कृति, पिछड़ापन, रीति–रिवाज, अशिक्षा, अंधविश्वास एवं अनेक प्राचीन कुरूतीयों के कारण इस जिले को अविभाजित म0प्र0 में भी पिछड़ेपन का पर्याय माना जाता रहा है। यहां तक की किसी भी विभाग में राज्य शासन द्वारा किसी अधिकारी को दण्डित करना होता था तो उसका बस्तर में स्थानान्तरण कर दिया जाता था।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दशा में 73 वॉ संविधान संशोधन, अधिनियम भी मिल का पत्थर साबित हुआ। विकेन्द्रीकरण भी इस प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गो का नेतृत्व में हिस्सेदारी प्राप्त हुई है। आज बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियो की चेतना एवं विकास में दिन पर दिन वृद्धि हो रही है। राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से भी योजना को क्रियाण्वित किया जा रहा है।

बस्तर में नारायणपूर, बीजापूर एवं सुकमा नये जिले बनने से विकास की गति प्रदान करना है। भारत का छ.ग. पहला प्रदेश है जहां के बस्तर के विकास एवं सलवाजुड़म जैसे अभियान समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ0 रमन सिंह एवं विरोधीदल के नेता श्री महेन्द्र कर्मा साथ–साथ चलते थे। इस प्रकार की राजनीति प्रतिबद्धता एवं एकता में भी बस्तर के आदिवासियों में एक नई चेतना एवं जागृति विकसित की है। जिसका लाभ एवं परिणाम विकास के रूप में सामने आ रहे है।

अध्ययन क्षेत्र :–

छ.ग. दक्षिण–पूर्वी कोने पर स्थित है। बस्तर जहां पर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का भाषा की दृष्टि से और एतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संगम होता है। जिले का कुल क्षेत्रफल 39,1140 वर्ग किमी. है। 2001 में जनसंख्या 130,22,53 है। इसका विस्तार 80.15. से 82.15. पूर्व देशान्तर एवं 17.46 से 20.34 उत्तर अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है। बस्तर तीन राज्यों की सीमा से जुड़ा है। इसके दक्षिण में आंध्रप्रदेश पश्चिम में महाराष्ट्र पूर्व में उड़ीसा और उत्तर में म0प्र0 राज्य की सीमा को छुता है।

आकड़ो के संकलन के स्त्रोत :–

संबधित अध्ययन के लिए आकड़ो के संकलन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोतो का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आकड़ो के संकलन हेतु अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओ से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से आकड़ो को एकत्रित किया गया। साथ ही अवलोकन एवं समूह चर्चा जैसे अनुसंधान उपकरणो का उपयोग किया गया। द्वितीय संमको के संकलन हेतु विभिन्न पुस्तक, पत्र–पत्रिका एवं अन्य दस्तावेजो का उपयोग किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य :–

प्रस्तुत शोध का अध्ययन छ.ग. के बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियों की राजनीतिक चेतना एवं विकास में केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना का मूल्याकंन करना है। जिसमें आदिवासी बाहुल्य बस्तर जिले के समय–समय पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा लागू की गई विकास की विभिन्न योजनाओ जो ग्राम पंचायतो के माध्यम से संचालित की जा रही है। बस्तर जिले में नक्सली गतिविधीयों से निपटने के लिए राज्य व केन्द्र सरकार की कौन–कौन सी योजनाएं लागू है इसका अध्ययन निम्न बिन्दुओ पर करना है :–

1. बस्तर जिले में लागू सरकारी विकास योजनाओ का विश्लेषण।
2. अनुसूचित जनजातियों में राजनैतिक चेतना के विकास में युवा वर्ग की भूमिका।
3. जनजाति विकास में केन्द्र व राज्य सरकार की योजनओ के योगदान का मूल्यांकन।

शोध प्रविधि :–

1. अध्ययन का समग्र :– अध्ययन के समग्रो में बस्तर के दस ग्रामो, जनपदो, जनप्रतिनिधियो का चयन किया गया।

2. अध्ययन इकाई :– समग्र के चयन के पश्चात् इकाई का चयन किया गया। इस हेतु चयनित ग्रामिणों के परिवारो में से प्रत्येक गांव के 15–15 ग्रामीण परिवारों का चयन किया गया।

3.निदर्शन पद्धति :– इस अध्ययन के लिए तथ्यो के संकलन हेतु छ.ग. के प्रभावित क्षेत्र बस्तर का चयन सोदेश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर किया गया है। इसके पश्चात् लाटरी पद्धति से प्रत्येक गाव की कुल ग्रामीण परिवारों में से 15–15 परिवारों का चयन किया गया है।

अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त सामग्री का विश्लेषण

इस अध्ययन के लिए पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन क्षेत्र से सबंधित सामग्री का विश्लषण निम्न बिन्दुओ के अंतर्गत किया जाता है।

1. बस्तर जिले में लागू सरकारी विकास योजनाओ का विश्लेषण :–

छ.ग. के बस्तर जिले मे जो सरकारी योजना संचालित हैं। वह नक्सलवाद गतिविधियो से पूर्णतः प्रभावित है। छ.ग. सरकार द्वारा बस्तर का स्थाई विकास तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के प्रयास किये जा रहे है। पिछले कुछ वर्षो के दौरान ग्रामिण क्षेत्रों में समन्वित और ढॉचागत सुविधाओं को बढ़ाने विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस हेतु नये कार्यक्रम शुरू करने पहले से जारी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें नया रूप देने और विकास प्रक्रिया में लोगो की भागीदारी को बढ़ावा देने में अनेक उपायों पर अमल किया गया है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास के लिये स्पेशल पैकेज तैयार कर रही है।

आज बस्तर जिले में अनुसूचित जनजातियों की चेतना व विकास पे दिन पर दिन वृद्धि हो रही है। राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से सभी योजनाओं को क्रियाण्वित किया जा रहा है। बस्तर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना चावल उत्सव को आयोजन किया गया है। बस्तर में हर वर्ष करीब 50 करोड़ रू0 तक के प्रस्ताव आते है। लेकिन पूर्ण कार्य नही हो पाया है। वर्तमान में ग्रामीण विकास की योजनाओं की कई योजनाए जिले मे नही है। परंतु रोजगार गांरटी योजना समविकास योजना और गरीबी उन्मूलन योजनाओ के साथ–साथ त्रि–स्तरीय पंचायतो के लिए अलग–अलग आबंटन जारी किया गया है। जिले मे ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण विकास हेतु रोजगार मूलक कार्यो को प्राथमिकता दी जा रही है।

2. अनुसूचित जनजातियों में राजनैतिक चेतना के विकास में युवा वर्ग की भूमिका :–

सरकार के प्रयत्नो से विकास नेतृत्व से जनजातियो में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों मे उन्नति हो रही है। जनजातीय विकास के लिए स्वंय जनजातीय नेतृत्व की परिकल्पना की गई है। जिन्हें वे साकार करना चाहते है, ताकि जनजाती नेतृत्व, विधान मण्डल, सांसद, जिला पंचायत, सरपंच, पंच का का अति संबध में अपनी आवाज बुलंद करते हुये कानूनो का निर्माण करवा सके। जनजातियों के विकास के लिए जनजातिय समुदाय ने नेतृत्व में युवाओ की महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। जिसमें जनजातीय समुदाय में राजनैतिक चेतना की जागृति आ रही है। तथा उनके द्वारा दी वैधानिक संस्थाओ में विकास हेतु कानूनो का निर्माण किया जा रहा है ताकि इन समाजो का स्तर ऊपर उठ सकें। जनजातीय विकास में युवाओ का नेतृत्व संतोषप्रद है। नेतृत्व समाज को दिशा प्रदान करता है। राजनैतिक चेतना को जागृत करता है। सामाजिक कल्याण एवं लोक कल्याण के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। समाज किसी वर्ग अथवा क्षेत्र का विकास युवाओ के नेतृत्व के बिना संभव नहीं है। मूलतः नेतृत्व विकास सरंचना का प्राणताप है। नेतृत्व द्वारा विकास कार्य में आने वाली बाधाओं को ध्यान मे रखकर उसके लिए नया मार्ग प्रशस्त करता है। जनजातीय नेतृत्व सिर्फ जनजातीय विकास के लिए काम करेगा तभी विकास संभव होगा।

जनजातीय समुदाय का अपना स्वंय का नेतृत्व युवाओ के हाथों में हो जिससे राजनैतिक चेतना को बढ़ावा तथा विकास संभव है। जनजातीय समुदाय अपने समाज का स्वंय नेतृत्व करें और अपने विकास के लिए स्वंय सोचने लगे तो विकास स्वंय होगा।

3. जनजातीय विकास में केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओ का मूल्यांकन :–

सरकार के प्रयत्नो से जनजातीयो में आर्थिक सामाजिक राजनैतिक शिक्षा स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों मे उन्नति हो रही है। परन्तु यह प्रगति अभी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। जनजातीय समस्याओं के निवारण हेतु नई पहल हो रही है। उसके लिये अनेक मार्गो को उठाया जा रहा है। वैधानिक संस्थाओ में विकास हेतु कानूनो का निर्माण किया गया ताकि इन समाजो का स्तर ऊपर उठ सकें। इस हेतु विभिन्न प्रकार के कानून सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं सास्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में योजना बनाई गई और लागू किये गये। जिनके सकारात्मक परिणाम निकले फिर भी अन्य वर्गो की तुलना में यह समुदाय अभी भी काफी पिछे है। विकास के इस दौर में आगे बढ़ने के लिये यह समाज निरतंर संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष की यात्रा को सफलता दिलाने में केन्द्र व राज्य की योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

जनजातीय विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में सरकारी योजनाओं के फलस्वरूप एक अत्यधिक लोकतंत्रीय व्यवस्था बन चूकी है। पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण जनजातीयों के विकास पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। जनजातीय विकास के लिए केवल राज्य सरकार के कार्यक्रम क्रांतीकारी परिवर्तन लायेंगे। वरन केन्द्र सरकार को भी अपने तौर–तरीके सिखलायेंगे। धीरे–धीरे राज्य व केन्द्र सरकारी कागजी योजनाओ में अपनी गंगा नहीं बहा सकेंगे। पंचायतो में इन जनजातीय योजनाओ को अपने धरातल पर रखेंगे। उनके गांव में केन्द्र व राज्य सरकार की कौन सी योजनाएं लाभकारी होंगी। कौन सी योजनाएं उन्हें वर्ष में अधिकांश समय रोजगार दिला सकेगी। ये सभी विषय राज्य व केन्द्र सरकार की कसौटी होगी। वर्तमान समय में जनजातीय विकास की कई योजनाएं जिले में संचालित है। इनमें रोजगार गारंटी योजना गरीबी उन्मूलन योजना संचालित है। केन्द्र व राज्य सरकार ने जनजातीयों के विकास के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमो को संचालित करने के लिए तत्पर है। ताकि जनजातीय ढॉचागत सुविधाओं के लिये देशभर

में समान गुणवत्ता वाले मानको को लागू करने की भी है।

निष्कर्ष :– जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय नेतृत्व की स्थिति तथा जनजातीय चेतना विकास की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण राजनैतिक चेतना एवं विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार ने राष्ट्रीय मुख्यधारा से अवगत करने की दिशा में सरकारी स्तर पर जो प्रयास किये गये है उन प्रयासो से जनजातीय विकास प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव पड़ा है। बस्तर में केन्द्र तथा राज्य सरकार की लागू सभी योजनाएं पंचायती राज्य व्यवस्था के माध्यम से सरकार की लागू सभी योजनाएं पंचायती राज्य व्यवस्था के माध्यम से क्रियाण्वित की जा रही है। परन्तु इन विकास योजनाओं की सार्थकता तब तक सिद्ध नहीं हो सकती। जब तक उसकी वास्तविक हितग्राहीयो सत् प्रतिशत लाभ नही मिल जाता है। जिसे बस्तर में केन्द्र एवं राज्य सरकार की लागू सभी योजनाएं समान रूप से समस्त पंचायतो में क्रियाण्वित की जा रही है। जनजातीय कल्याण कार्यक्रम में शासन बहुत बड़ी धनराशि व्यय करता है। जबकि उपलब्धिया इसके अनुपात मे बहुत कम होती है। इसका कारण सरकारी कर्मचारियों में निष्ठा का अभाव आलस्य और भ्रष्टाचार है।

सुझाव :–

बस्तर के विकास में बाधक तत्व नक्सलवाद को समाप्त कर देना चाहिये। बस्तर क्षेत्र में शिक्षा प्रशिक्षण रोजगार प्राथमिक आवश्यकताओं के अवसर प्रदान करने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया जा सकता है। सामाजिक विकास एवं राजनैतिक चेतना हेतु युवाओं मे विकसित करना अति आवश्यक है। जिससे सभी क्षेत्रों में उनका सर्वागिंण विकास होगा। इसके लिये समाज को संगठित एवं सुदृढ़ करना जरूरी है। एवं जनजागृति पैदाकर किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियो की चेतना एवं जागरूकता में वृद्धि हेतू बस्तर जिले को शिक्षा समुचित प्रचार एवं प्रसार होना चाहिए। जनजातीय विकास हेतु युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए। बस्तर के विकास के लिए सभी राजनैतिक दलो सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा स्वंयसेवी संगठनों को एकजुट होकर कार्यो में समन्वय एवं सहयोग के द्वारा जातिवाद गुटबंदी तथा शोषण का उन्मूलन करना चाहिये।

** डी. लिट्., शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)*

संदर्भ ग्रंथ

1. जनजातीय युवागृह बदलते प्रतिमान वर्ष 27 वॉ अंक जनवरी 2003 2. प्रतिवेदन राज्य स्तरी कार्यशाला छ.ग. के विकास में स्वंयसेवी संगठनो की भूमिका 20 मई 2002 3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2005 जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय बस्तर। 4. नायडू पी.आर. 1977 भारत के आदिवासी राधा पब्लिकेशन दिल्ली पृष्ठ 230–235 5. थुशु के.एन.ए. 1996 द व्यर्वा आफ बस्तर एन्थ्रोपोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया। 6. छ.ग. शासन के विभिन्न आदेश एवं योजना के क्रियाण्वयन का अध्ययन इत्यादि। 7. भारत की जनगणना 2001 छ. ग. श्रृंखला 23 प्रभाकर बंसोड़ निर्देशक जनगणना कार्यालय छ.ग.।